उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02
संख्या– ✓ /II(2)/2020–04(11)/2010
देहरादून: दिनांक, 23 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–1276/ II(2)/2020–04(11)/2020, दिनांक 25.08.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में सौंग बांध पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन/पुनर्वास हेतु समन्वय समिति (Co-ordination Committee) का गठन आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी – अध्यक्ष
2. अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
3. जिलाधिकारी, नई टिहरी – सदस्य सचिव
4. जिलाधिकारी, देहरादून – सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून – सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश – सदस्य

2– उक्त समिति सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायकगण से प्रकरण में यथा आवश्यक परामर्श प्राप्त करेगी।

3– उपरोक्तानुसार गठित समिति सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु विस्थापितों से समझौता वार्ता के लिये सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट में की गई संस्तुति के आधार पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या :1942.(1)/ II(2)/2020–04(11)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मा0 विधायकगण, धनोल्टी/डोईवाला।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, नई टिहरी/देहरादून।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. पुर्नवास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner